

कार्यालय – निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक – शिविरा/माध्य/मा-ब/22803/NAT/2020/57

दिनांक : 13.07.2020

01. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
02. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
03. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक।
04. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
05. समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।

विषय :- “राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2020” हेतु ऑन-लाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि में वृद्धि बाबत।

प्रसंग :- शिविरा/माध्य/मा-ब/22803/NAT/2020/42 दिनांक : 07.07.2020।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत पूर्व प्रदत्त प्रासंगिक निर्देशों के क्रम में लेख है कि केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा पूर्व में “राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2020” हेतु नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, जिसके अनुसार पात्र शिक्षकों द्वारा 11 जुलाई, 2020 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेब-साईट (www.mhrd.gov.in) के लिंक <http://www.nationalawardtoteachers.com/> पर इच्छुक शिक्षकों द्वारा ऑन-लाईन “स्व नामांकन” प्रक्रिया द्वारा पुरस्कार हेतु आवेदन करने हेतु निर्देशित किया गया था। MHRD द्वारा ऑन-लाईन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाकर 15 जुलाई, 2020 कर दी गई है। उक्तानुसार नवीन विस्तारित तिथि के अनुसार क्षेत्राधिकार में अधिकाधिक पात्र शिक्षकों द्वारा “स्व-नामांकन” की सुनिश्चितता करावे।



(सौरभ स्वामी)

आइ.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त जिला कलक्टर गण को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशानुरूप एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् को “जिला स्तरीय चयन समिति” का सदस्य मनोनीत करने हेतु सूचनार्थ।
5. निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, राज. जयपुर को अग्रिम सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
7. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रत्येक जिले में तीन सदस्यीय “जिला स्तरीय चयन समिति” के सदस्य के रूप में राज्य सरकार के प्रतिनिधि मनोनयन के लिए पुनः स्मरण हेतु।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
9. समस्त संस्था प्रधान, राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।



निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर